उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति एवं किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका
दिनांक 15.12.2021

प्रस्तुतीकरण

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश

कृषि निर्यात नोडल एजेन्सी, उ0प्र0

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वेबसाइट:**www.upkrishivipran.in**

ईमेल:**agmdvipran@gmail.com**

दूरभाष: **0522-2710758: मो0-9452205070**

उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश का
कृषि उत्पादन सामर्थ्य

देश में प्रथम- गेहूं (32%),
खाद्यान्य (19%),
दुग्ध (20%),
आम (20.8%)
आलू (30%),
अमरूद (23%),
कुल पशुधन (13.4%),
गन्ना , मांस उत्पादन में।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रदेश में देश का 10.8% फल व 15.4% सब्जियों का उत्पादन होता है।

स्रोतः- उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा 2020-21, अर्थ एवं संख्या निदेशालय,उ0प्र0।

कृषि निर्यात का राष्ट्रीय परिदृश्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2020-21		
		मात्रा मै0 टन में	मूल्य करोड़ रू में	मूल्य मिलियन यू0एस0 डालर में
1	गुजरात	8405280.83	39476.33	5330.04
2	महाराष्ट्र	4837821.61	28178.50	3807.47
3	उत्तर प्रदेश	**1763534.83**	**17729.90**	**2394.03**
4	आंध्र प्रदेश	5288526.69	13781.79	1865.04
5	प0 बंगाल	5587061.11	12969.15	1759.78
6	हरियाणा	1510910.97	11914.47	1605.67
7	तमिलनाडु	1617411.54	9323.90	1259.45
8	अन्य	30,97,042.79	19,671.00	2,651.78
	योग	**3,21,07,590.37**	**1,53,045.04**	**20,673.26**

स्रोत- एपीडा

राष्ट्रीय परिदृश्य में उ0प्र0 से कृषि निर्यात

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	उत्तर प्रदेश से वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात करोड़ रू0 में	वर्ष 2020-21 में देश से कुल निर्यात मूल्य में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत
1	BUFFALO MEAT	13166.36	56.12
2	DAIRY PRODUCTS	151.38	10.14
3	OTHER FRESH VEGETABLES	214.36	10.00
4	WHEAT	231.81	5.74
5	OTHERS	1979.85	4.06
6	OTHER FRESH FRUITS	89.85	4.02
7	MAIZE	135.94	2.91
8	BASMATI RICE	845.60	2.83
9	NON BASMATI RICE	913.22	2.57
10	FRESH MANGOES	1.26	0.46
11	MANGO PULP	0.27	0.03
	TOTAL	17729.90	11.58

स्रोत- एपीडा   गत वर्ष से निर्यात में 11.48 प्रतिशत वृद्धि

‘‘उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति‘‘
संक्षिप्त परिचय

- भारत सरकार की कृषि निर्यात नीति के सामंजस्य में उत्तर प्रदेश से निर्यात दोगुना करने हेतु उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति 2019 जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य।
- **नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहयोगी विभाग/प्रोत्साहन नीतियां-** कृषि विभाग, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, पशुपालन विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मत्स्य, डेयरी एवं दुग्ध विकास विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग आदि।

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, उ0प्र0 वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018 एवं उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017

“कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र (राज्य स्तर)"

- **राज्य स्तर की निर्यात निगरानी समिति**
- ✓ अध्यक्ष- मुख्य सचिव,उ0प्र0शासन।
- ✓ प्रदेश के कृषि निर्यात से सम्बंद्ध 10 विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव एवं 07 सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष सदस्य।
- ✓ भारत सरकार के कृषि निर्यात से सम्बंद्ध 08 विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य।
- ✓ 02 वर्ष हेतु नामित सदस्य कृषक, एफ0पी0ओ0, निर्यातक, औद्योगिक संगठन प्रतिनिधि।
- **मुख्य कार्य:-**
- ✓ राज्य स्तर पर कृषि निर्यात की समीक्षा,
- ✓ राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं अन्य हितधारकों के बीच समन्यवन।
- ✓ मंडल और जिला स्तरीय समितियों का कार्यात्मक मार्गदर्शन।

“कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र (मंडल स्तर)"

➢ मंडल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति

- ✓ अध्यक्ष- मण्डलायुक्त ।
- ✓ प्रदेश एवं भारत सरकार के कृषि निर्यात से सम्बंद्ध 14 विभागों/ संगठनों/ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सदस्य।
- ✓ एन0जी0ओ0/ एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला के प्रतिनिधि एवं 02 वर्ष के लिए कृषक, एफ0पी0ओ0, निर्यातक प्रतिनिधि के नामित सदस्य ।

➢ मुख्य कार्य:-

- ✓ मंडल स्तर पर कृषि निर्यात एवं क्लस्टर विकास की समीक्षा।
- ✓ विभिन्न विभागों के बीच समन्वय द्वारा निर्यात बढ़ाना।
- ✓ निर्यात उन्मुख क्लस्टर को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति।
- ✓ कृषि निर्यात/पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/ डिप्लोमा/सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति।

“कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र (जनपद स्तर)"

➢ जिला स्तर पर क्लस्टर सुविधा इकाई

- ✓ अध्यक्ष- जिलाधिकारी ।
- ✓ प्रदेश के कृषि निर्यात से सम्बंद्ध 07 विभागों के जनपद स्तर के अधिकारी।
- ✓ नाबार्ड व एस0एफ0ए0सी0 के प्रतिनिधि सदस्य।
- ✓ एन0जी0ओ0/ एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला प्रतिनिधि एवं 02 वर्ष के लिए कृषक, एफ0पी0ओ0, निर्यातक प्रतिनिधि के नामित सदस्य ।

“कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र (जनपद स्तर) "

➢ जिला स्तर पर क्लस्टर सुविधा इकाई के मुख्य कार्य:-

✓ क्लस्टर विकास कार्य एवं क्षेत्र वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

✓ विभिन्न विभागों के बीच क्लस्टर स्तरीय समन्वय एवं क्लस्टर सूची के विस्तार हेतु संस्तुति प्रस्ताव भेजना।

✓ निर्यात उन्मुख क्लस्टर को प्रोत्साहन राशि की संस्तुति करना।

✓ क्लस्टर के निकट स्थापित नवीन प्रसंस्करण इकाईयों को प्रोत्साहन राशि की संस्तुति करना।

✓ कृषि निर्यात/पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/ डिप्लोमा/सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि की संस्तुति।

उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति के मुख्य प्रोत्साहन

(अद्यतन नीति का प्रथम संशोधन-27.10.2021)

प्रोत्साहन	विवरण
1- निर्यात उन्मुख क्लस्टर को अतिरिक्त प्रोत्साहन	1. प्रोत्साहन राशि एफ0पी0ओ/ एफ0पी0सी0/ किसान समूह अथवा समिति को ही अनुमन्य। 2. यह प्रोत्साहन क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर सम्बन्धित संस्था को ही निर्यात एवं अच्छी कृषि पद्धति के सम्बन्ध में प्रसार हेतु है। 2. प्रथम क्लस्टर क्षेत्र 50 से 100 हेक्टेयर (कृषि भूमि विकास खण्ड की सीमान्तर्गत हो) को 5 वर्षो में रुपया 10 लाख एवं प्रत्येक 50 हे0 क्लस्टर का क्षेत्रफल बढ़ने पर धनराशि में रुपये 6 लाख की बढ़ोत्तरी अनुमन्य (प्रथम वर्ष में 40 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष आगामी चार वर्षो तक निर्यात होने पर) 3. कुल उत्पादन का न्यूनतम 30 प्रतिशत मात्रा में निर्यात करना आवश्यक है। 4. आवेदन पर संस्तुति जिलाधिकारी, भुगतान स्वीकृति मण्डलायुक्त।

नीति का अनुलग्नक-1

(प्रथम संशोधन-दिनांक 13 अगस्त,2021)

उत्तर प्रदेश के चिन्हांकित क्लस्टर की सूची

उत्पाद	जनपद
ताजे फल/सब्जी, खाद्यान्न, तिलहन	
आम	वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, अमरोहा, रामपुर, बुलन्दशहर, अयोध्या, बिजनौर, मुज्जफरनगर, हरदोई, कासगंज, अम्बेडकरनगर, अलीगढ़, खीरी, बाराबंकी, कुशीनगर, मुरादाबाद, बागपत, प्रतापगढ़, बलरामपुर।
केला	गोरखपुर, कुशीनगर,, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, कौशाम्बी,फतेहपुर, खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, पीलीभीत, मुरादाबाद, सन्तकबीर नगर।
अमरुद	कौशाम्बी, प्रयागराज, कानपुर नगर, बदायूँ, फर्रुखाबाद,कासगंज, अलीगढ़, एटा, हाथरस, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, रामपुर, उन्नाव, सम्भल।
आँवला	प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, आजमगढ़, बस्ती, फतेहपुर।

नीति का अनुलग्नक-1
उत्तर प्रदेश के चिन्हांकित क्लस्टर की सूची

उत्पाद	जनपद
आलू	आगरा, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज, बदायूँ, सम्भल, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, प्रयागराज, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, हरदोई, मथुरा।
ताजी सब्जियां (हरी मिर्च, भिन्डी, लौकी, करेला, हरी मटर, परवल, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, इत्यादि)	लखनऊ, अयोध्या, कानपुर नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली, कौशाम्बी, जालौन, कासगंज, बरेली, बाराबंकी, बुलन्दशहर, अलीगढ़, बलिया,फतेहपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव, आगरा, मेरठ, मैनपुरी, गोण्डा, हापुड़, एटा, अम्बेडकरनगर, बहराइच, अमरोहा, ललितपुर, झांसी, महोबा, सुल्तानपुर, हमीरपुर, अमेठी, खीरी, बस्ती, कुशीनगर, कन्नौज।
बासमती चावल	सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद।

नीति का अनुलग्नक-1
उत्तर प्रदेश के चिन्हांकित क्लस्टर की सूची

उत्पाद	जनपद
मक्का	गोण्डा
तिल	झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन।
चिकोरी	एटा, कासगंज।
लहसुन	फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी।
मेंथा (मिन्ट)	बाराबंकी, बदायूं, मुरादाबाद, सीतापुर, रामपुर, जालौन, बरेली।
भौगोलिक संकेत वाली फसलें (जी0आई0 फसले)	
इलाहाबादी सुर्ख अमरुद	प्रयागराज, कौशाम्बी
मलिहाबादी दशहरी आम	लखनऊ
बासमती चावल	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 23 जिले
काला नमक चावल	गोरखपुर, महाराजगंज, सन्तकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती।

नीति का अनुलग्नक-1
उत्तर प्रदेश के चिन्हांकित क्लस्टर की सूची

उत्पाद	जनपद
जैविक उत्पाद	
धान, गेहूँ, सब्जियां, आलू, औषधीय पौधे, सरसों, बाजरा, आम, अमरूद, मूंग, उरद, गन्ना, हल्दी, मटर, अरहर, इत्यादि	उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की लिस्ट के अनुसार क्लस्टर जिला/क्षेत्र
पशु/डेयरी एवं उनके उत्पाद	
ताजा दूध,स्किम्ड दूध, पनीर, घी, मांस, इत्यादि	एटा, मथुरा, बुलन्दशहर, वाराणसी, गोरखपुर, उन्नाव, अलीगढ़, रामपुर, लखनऊ, मेरठ।
प्रसंस्कृत उत्पाद	
अचार, फ्रोजन सब्जियां, जूस, जैम, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, कन्फेक्शनरी, खाद्यान्न आटा,खाद्यान्न रोस्टेड, नमकीन, इत्यादि	गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, झांसी, कानपुर, प्रयागराज।
मछली एवं मछली उत्पाद	
मछली एवं मछली उत्पाद	गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया

उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति के मुख्य प्रोत्साहन

प्रोत्साहन	विवरण
2- क्लस्टर्स के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाईयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन	1. यह प्रोत्साहन धनराशि क्लस्टर में उत्पादित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु क्लस्टर के निकट नई स्थापित प्रसंस्करण इकाई/ पैक हाउस/ शीतगृह/ राइपेनिंग चैम्बर्स आदि को देय होगी, जो उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति 2019 के अनुलग्नक-1 में सम्मिलित कृषि जिन्सों एवं नीति अनुरूप विकसित क्लस्टर से कृषि जिन्सों का क्रय कर मौलिक अथवा प्रसंस्कृत रूप में न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्यात करेंगें। 2. यह प्रोत्साहन निर्यात के टर्नओवर का 10 प्रतिशत अथवा रू0 25 लाख, जो भी कम हो निर्यात प्रारम्भ करने के वर्ष से 05 वर्षो तक वार्षिक गणना के आधार पर प्रतिवर्ष दिया जायेगा। 3. आवेदन पर संस्तुति जिलाधिकारी, भुगतान स्वीकृति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा ।

उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति के मुख्य प्रोत्साहन

प्रोत्साहन	विवरण
3- कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन अनुदान।	**1. परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/ जल मार्ग/ सड़क मार्ग/ रेल मार्ग) की दरें प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो:-** **क) वायु मार्ग एवं जल मार्ग से रू0 10 (रूपया दस) पोर्ट तक ले जाने का मार्ग व्यय सहित।** **ख) रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से रू0 05 (रूपया पाँच)** **2. परिवहन अनुदान मद में प्रतिवर्ष अधिकतम रू0 10 लाख प्रति निर्यातक/ फर्म।** **3. अन्य किसी स्रोत/ विभाग से परिवहन अनुदान नहीं लिए जाने का प्रमाण-पत्र।** **4. परिवहन अनुदान मांस एवं चीनी के निर्यात पर देय नही।** **5. आवेदन निदेशालय पर एवं भुगतान स्वीकृति स्वीकृति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा ।**

उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति के मुख्य प्रोत्साहन

प्रोत्साहन	विवरण
4- कृषि निर्यात/ पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा /सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु संस्थाओं को सहयोग।	1. उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों/ सरकारी संस्थानों में वार्षिक फीस की 50 प्रतिशत या रुपया 0.50 लाख प्रति छात्र की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत। 2. पन्द्रह महीने से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु वार्षिक फीस की 50 प्रतिशत या रुपया 1.0 लाख प्रति छात्र की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत। 3. उच्च शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाले राजकीय संस्थानों को एक मुश्त रूपया 50 लाख अनुदान। 4. आवेदन संस्तुति जिलाधिकारी, भुगतान स्वीकृति मण्डलायुक्त।

उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति के मुख्य प्रोत्साहन

प्रोत्साहन	विवरण
5. कृषि निर्यात (उत्पाद/उत्पादन) में प्रयुक्त विर्निदिष्ट कृषि उपज पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस से छूट	1. किसानों, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ/ एफपीसी) अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने पर निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस की शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 2. आढ़तियो के माध्यम से खरीद करने पर निर्यात दायित्व सिद्ध करने के उपरान्त मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार की शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी परन्तु निर्धारित विकास सेस देय होगा। 3. निर्यात दायित्व सिद्ध करने की प्रक्रिया का निर्धारण समय-समय पर शासन द्वारा किया जायेगा ।

उ0प्र0 में कृषि निर्यात की चुनौतियां

- कृषि निर्यात हेतु अवसंरचना विकसित करना।
- निर्यात योग्य प्रजातियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- निर्यात योग्य अच्छी कृषि पद्धतियों को बड़े स्तर पर अंगीकार कराना।
- कृषि जिन्सों की ट्रेसबिलिटी स्थापित करना।
- कृषि निर्यात लाजिस्टिक हेतु कोल्ड चेन की उपलब्धता बनाना।
- प्रदेश में पेस्टीसाइड रेजीड्यू जांच प्रयोगशालाओं की उपलब्धता।
- जी0आई0 उत्पादों का प्रोत्साहन।
- जैविक उत्पादों का प्रोत्साहन।
- कृषि निर्यात हितधारकों की क्षमता निर्माण।
- कृषि के सम्बद्ध विभागों की योजनाओं का लाभ कृषि निर्यात हितधारकों को सुलभ कराना।

उ0प्र0 में कृषि निर्यात में अग्रसर कदम

- दिनांक 14.09.2021 को पलिया कलां लखीमपुर खीरी के किसानों का 40 टन केला प्रदेश से प्रथम बार जलमार्ग द्वारा ईरान को परीक्षण शिपमेन्ट।
- विगत 06 माह में कानपुर से गंगा के किनारे उत्पादित जामुन का मई-जून,2021 में लगभग 5,000 किग्रा का प्रथम बार निर्यात यूनाईटेड किंगडम किया गया है। किसानों को रू 35 से रू 40 प्रति किग्रा के स्थान पर लगभग रू 70 प्रति किग्रा प्राप्त हुआ ।
- दिनांक 06.07.2021 को राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति द्वारा समस्त पात्र आवेदको को रु. 25,23,803-00 के परिवहन अनुदानों का अनुमोदन प्राप्त कर लाभार्थियों के बैंक खातों में आनलाइन भुगतान किया गया।

उ0प्र0 में कृषि निर्यात में अग्रसर कदम

- प्रदेश में कृषि निर्यात हेतु दो पैक हाउस लखनऊ एवं सहारनपुर में स्थापित हैं, इसमें से लखनऊ पैक हाउस का इंटीग्रेटेड पैक हाउस के रूप में आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा अमरोहा एवं वाराणसी में नये पैक हाउस निर्माणाधीन हैं।
- प्रदेश में कृषि निर्यात के सहयोगी विभागों के नोडल अधिकारियों सहित प्रदेश के कृषि निर्यात हितधारकों (एफ0पी0ओ0/ एफ0पी0सी0/ निर्यातक /प्रसंस्करणकर्ता आदि) की क्षमता निर्माण हेतु आनलाइन/आफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।
- कृषि निर्यात हेतु ओ0डी0ओ0पी0/ उद्यान विभाग में चिन्हित कृषि जिन्सों को क्लस्टर में चयनित कर निर्यात प्रोत्साहन कराना।

उ0प्र0 में कृषि निर्यात नीति में एफ0पी0ओ0 की भूमिका

- प्रस्तर 4.11 के अनुसार क्लस्टर पद्धति के माध्यम से राज्य से कृषि निर्यात को बढ़ाना है।
- प्रस्तर 6.2.1 के अनुसार उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति उत्पादन और उत्पादों के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण पर केन्द्रित है।
- प्रस्तर 6.2.3.1 के अनुसार क्लस्टर कम्पनी अधिनियम 1956, उ0प्र0 सहकारी समितियां अधिनियम 1965 के अन्तर्गत एफ0पी0ओ0/ एफ0पी0सी0 अथवा सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1868 के अन्तर्गत कृषि समूह (Farmers Aggregate) के रूप में गठित किये जायेंगे तथा प्रोत्साहन धनराशि उक्त संस्था को ही निर्यात एवं अच्छी कृषि पद्धति के सम्बन्ध में प्रसार हेतु दिया जायेगा।
- प्रस्तर 6.2.3.3 के बिन्दु-1 के अनुसार एफ0पी0ओ0 से निर्यात हेतु सीधे क्रय करने पर मण्डी शुल्क शत-प्रतिशत एवं विकास सेस शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य, मण्डल एंव जनपद स्तर पर स्थापित संस्थागत तंत्र में एफ0पी0ओ0 को सदस्य नामित किया गया है।

उ0प्र0 में कृषि निर्यात नीति में एफ0पी0ओ0 की भूमिका

- एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 के द्वारा उत्पादन करने पर निर्यात करने हेतु उत्पाद की अधिक मात्रा उपलब्ध हो सकेगी।
- राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कृषि निर्यात सम्बन्धी योजनाओं का लाभ एक संगठन के रूप में एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 द्वारा शीघ्र व सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।
- छोटे और सीमांत किसानों की संख्या देश में लगभग 86 फीसद हैं, जिनके पास औसतन 1.1 हेक्टेयर से कम जोत है। इन छोटे, सीमांत और बटाईदार किसानों को खेती के समय भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रौद्योगिकी, उच्चगुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और समुचित वित्त की समस्याएं शामिल हैं।
- एफपीओ से छोटे, सीमांत और बटाईदार किसानों को निर्यात् उत्पादन में प्रचालन की मापनीयता (Scalablity of Operation) प्राप्त होने से निर्यात में मदद मिलेगी।

धन्यवाद

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0

कृषि निर्यात नोडल एजेन्सी, उ0प्र0